

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

पत्रांक :- 10/अ0वि0-03-10/2025...354

पटना, दिनांक ...13/02/2026

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

द्वारा :

वित्त विभाग।

विषय:-

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतनादि भुगतान हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-77, दिनांक-03.06.2025 के द्वारा स्वीकृत राशि रूपये 1,28,43,99,000/- (एक अरब अठ्ठासी करोड़ तैंतालीस लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र के अंतर्गत रूपये 1,78,01,330/- (एक करोड़ अठहत्तर लाख एक हजार तीन सौ तीस रूपये) मात्र मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

महाशय,

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 77, दिनांक-03.05.2025 के द्वारा रूपये 1,28,43,99,000/- (एक अरब अठ्ठासी करोड़ तैंतालीस लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं रूपये 42,38,51,670/- (बियालीस करोड़ अड़तीस लाख ईकावन हजार छः सौ सत्तर रूपये) मात्र की विमुक्ति एवं स्वीकृत्यादेश संख्या- 175, दिनांक-02.09.2025 के द्वारा रूपये 60,53,69,104/- (साठ करोड़ तिरपन लाख उनहत्तर हजार एक सौ चार रूपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान की गई थी। संबंधित विपत्र में स्वीकृत राशि के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि रु० 25,51,78,226/- (पच्चीस करोड़ इक्यावन लाख अठहत्तर हजार दो सौ छब्बीस रूपये) मे से 1,78,01,330/- (एक करोड़ अठहत्तर लाख एक हजार तीन सौ तीस रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय-व्यय के मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा लघु शीर्ष-110-अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-उप शीर्ष-0003-माध्यमिक, बहुदेशीय अल्पसंख्यक विद्यालय-विषय शीर्ष-0003-31-04-सहायक अनुदान-वेतन विपत्र कोड-21 2202021100003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि रु० 1,28,43,99,000/- (एक अरब अठ्ठासी करोड़ तैंतालीस लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र से विकलनीय होगा।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए स्वीकृत राशि का आवंटन जिलावार संलग्न विवरणी के अनुसार CFMS के माध्यम से विहित प्रक्रिया द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनानुदान भुगतान हेतु राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

5. गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सुनिश्चित करेंगे कि राशि

Am

का भुगतान विधिवत संचालित अल्पसंख्यक विद्यालयों में विधिवत रूप से स्वीकृत पद के विरुद्ध नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया गया है।

6. उक्त सहायक अनुदान के मद में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय को 18 माह पूर्व उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध जिलों द्वारा विहित प्रपत्र में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा एवं विभाग द्वारा 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराते हुए ससमय सामंजन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा बिल्कुल अलग रखेंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) विभाग एवं भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा का अंकेक्षण कर सकेंगे।

10. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

11. राशि की विमुक्ति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-6(छ) के आलोक में की जा रही है।

12. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अजय सतीश भेंगरा)

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक

ज्ञांपाक : 10/अ०वि०-०३-१०/२०२५.....

प्रतिलिपि: प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक 13/02/2026

ज्ञांपाक : 10/अ०वि०-०३-१०/२०२५ 354

प्रतिलिपि:माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/वित्त विभाग (बजट, अंकेक्षण एवं लेखा-शाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी 05/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signature
13.2.26

सरकार के उप सचिव।

Manoj

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपये 1,78,01,330/- (एक करोड़ अठहत्तर लाख एक हजार तीन सौ तीस रुपये) मात्र आवंटन हेतु जिलावार विवरणी:-

क्र०सं०	जिला	आवांठित राशि
1	रोहतास	47,05,000 / -
2	पूर्णियाँ	24,62,740 / -
3	अररिया	66,33,590 / -
4	सहरसा	40,00,000 / -
	कुल	1,78,01,330 / -

Manoj

Manoj
13.2.26

(अजय सतीश भेंगरा)
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।